झारखण्ड सरकार

परिवहन आयुक्त कार्यालय

एफ०एफ०पी० भवन, एच.ई.सी. परिसर, धुर्वा, राँची।

पत्रांक–परि०आ०–457/2017 .... राँची, दिनांक –................................

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड।

विषय : M/s Bentinck Industries Pvt. Ltd. द्वारा नव निर्मित वाहनों के निबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक **M/s Bentinck Industries Pvt. Ltd.** द्वारा निम्नलिखित नवनिर्मित वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधन के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के प्रावधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत International Centre for Automotive Technology, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर झारखण्ड राज्य में निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : –

Sl.	Base Model	Type
1.	Indian Buggy	Special purpose Battery operated three wheeler

2. कम्पनी द्वारा प्रस्तुत International Centre for Automotive Technology, Haryana द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, नवनिर्मित वाहन की जाँच के पश्चात् निबंधन/फिटनेस करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
3. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 127 के अन्तर्गत प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम 93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा।
4. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
5. इसके साथ रोड वर्दीनेश प्रमाण पत्र मोटरवाहन नियमावली के नियम के अनुपालन प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
6. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन अधोहस्ताक्षरी के आदेश प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।
7. जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम की धारा–6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा समय–समय पर विक्रेता के पंजी की जाँच करेंगे।
8. ICAT, Haryana द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– परि०आ०–457/2017 ....1269.......... राँची, दिनांक –....12/9/17....

प्रतिलिपि : सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड एवं **M/s Bentinck Industries Pvt. Ltd.**, Jajodia Mansion, 5, Bentinck Street, Kolkata-700 001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/17

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची